यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर, पौडी गढवाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर, पौडी गढवाल** के माह 04/2012 से माह 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 15.02.2019 से 19.02.2019 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की लेखापरीक्षा आहरण एवं संवितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम बार सम्पादित की जा रही है तथा लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा चिकित्सालय में आये विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

3. (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2012-13	0.00	0.00	206.89	179.87	27.02	76.99	58.35	18.64
2013-14	0.00	0.00	298.83	253.25	72.60	55.86	53.15	2.71
2014-15	0.00	0.00	320.59	273.29	47.30	82.22	79.24	2.98
2015-16	0.00	0.00	405.95	338.42	67.53	42.22	40.62	1.60
2016-17	0.00	0.00	363.73	290.65	73.08	102.32	99.79	2.53
2017-18	0.00	0.00	464.46	384.37	80.09	93.88	80.66	13.22
2018-19 (Up to 01/19)	0.00	0.00	405.43	352.70		164.38	153.45	

नोट– स्थापना मद की वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की गयी।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2012-13	NHM	5.06	52.96	58.02	50.00	8.02
2013-14		8.02	35.76	43.78	37.13	6.65
2014-15		6.65	43.11	49.76	40.88	8.88
2015-16		8.88	55.82	64.70	54.63	10.07
2016-17		10.07	76.94	87.01	79.26	7.75
2017-18		7.75	64.91	72.66	63.04	9.62
2018-19 (up to 01/2019)		9.62	30.82	40.44	28.95	11.49

(iii) इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**स**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पौडी ⟶ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी ⟶ प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर, पौडी गढवाल।

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर, पौडी गढवाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **06/2015, 03/2017, 03/2018 एवं 01/2019** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किये सभी व्यय, एवं स्थापना मद आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर :1- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति न हो पाना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की निर्देशिका के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों मे रहने वाले 0-6 वर्ष के बच्चों के अलावा 18 वर्ष की उम्र तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों मे पढ़ने वाले 1 से 12 वीं तक के बच्चों को आच्छादित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 09 जन्मजात कमियों, बचपन की बीमारियों एवं न्यूनताओं की जांच, पहचान एवं इलाज करना है। दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीएसके की मोबाइल स्वास्थ्य टीम आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का वर्ष में दो बार जांच (Screening) की जाएगी जबकि स्कूली बच्चों की वर्ष में एक बार जांच की जाएगी।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विगत तीन वर्षों में कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड यमकेश्वर में विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी के बच्चों की जांच में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है।

वर्ष	**स्कूल**			**आंगनवाड़ी**			**वर्ष के दौरान आरबीएसके पर व्यय (₹ लाख में)**
	स्कूली बच्चों का लक्ष्य	**जांच किये गए बच्चों की संख्या**	**कमी (% में)**	**आंगनवाड़ी बच्चो का लक्ष्य**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**कमी (% में)**	
2016-17	8618	7616	1002 (12%)	4858	3580	1278 (26%)	13.27
2017-18	8438	6140	2298 (27%)	4662	3849	813 (17%)	9.27
2018-19 (जनवरी 2019 तक)	8237	5883	2354 (29%)	4230	2727	1503 (36%)	9.31
कुल योग	25293	19639	5654 (22%)	13750	10156	3594 (26%)	31.85

आगे जांच में यह भी पाया गया कि विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के 145 बच्चे स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए Refer किए गए किन्तु उसमे से केवल 54 (37%) बच्चे ही स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएँ प्राप्त कर सके। वर्ष 2018-19 में Refer किए गए बच्चों में से कोई भी बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में लाभ नहीं ले सका है।

वर्ष	**स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी/सीएचसी/ जिला चिकित्सालय) को Refer किए गए बच्चो की संख्या**			**पीएचसी/सीएचसी/ जिला चिकित्सालय में सेवाएँ प्राप्त करने वाले बच्चो की संख्या**		
	स्कूल	**आंगनवाड़ी**	**कुल योग**	**स्कूल**	**आंगनवाड़ी**	**कुल योग**
2016-17	62	06	68	29 (47%)	04 (67%)	33 (49%)
2017-18	63	02	65	20 (32%)	01 (50%)	21 (32%)
2018-19 (जनवरी 2019 तक)	12	00	12	00 (0%)	00 (0%)	00 (0%)
कुल योग	137	08	145	49 (36%)	05 (63%)	54 (37%)

इस प्रकार तीन वर्षो में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर ₹31.85 लाख व्यय किए जाने के बावजूद लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, जबकि बीमारी से ग्रस्त 63 % बच्चे इलाज से वंचित रहे।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मेडिकल टीमों द्वारा भ्रमण के दौरान बच्चों की अनुपस्थिति के कारण लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जा सके हैं साथ ही विकास खंड की विषम भौगौलिक परिस्थितियों एवं जागरूकता की कमी के कारण बीमार बच्चे उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों तक नहीं जा पाते हैं।

इकाई का उत्तर संप्रेक्षा की आपति की पुष्टि करता है, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 02 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को आवंटित धनराशि रु0 39.20 लाख का व्यय सुनिश्चित किये बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की Operational Guideline for Financial Management के प्रस्तर 5.5.2 में निर्देशित किया गया है कि Village Health, Sanitation and Nutrition Committees (VHSNCs) को अवमुक्त की गई धनराशि को जब तक वास्तविक रूप से व्यय के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (आवश्यक सहयोगी अभिलेखों के साथ) न प्राप्त कर लिया जाये तब तक उसे व्यय के रूप में अंकित नहीं किया जाएगा।

कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर के योजनान्तर्गत विभिन्न समितियों को वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान अवमुक्त की गयी धनराशि एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना की जॉच में पाया गया कि उपरोक्त अवधि में कुल गठित 225 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को रु0 39.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जॉच में यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त मद में ग्राम समितियों को धनराशि अवमुक्त करने पश्चात सम्पूर्ण धनराशि को व्यय मानते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इन ग्राम समितियों द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 36.25 लाख का व्यय दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था तथा धनराशि रु0 2. 95 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुआ था। विवरण निम्नवत् है;

(₹लाख में)

वर्ष	**वीएचएसएनसी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अवमुक्त राशि**	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**राशि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ**	**राशि जिसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ**
2015-16	1.28	225	1.05	0.23
2016-17	22.50	225	21.80	0.70
2017-18	15.42	225	13.40	2.02
Total	**39.2**		**36.25**	**2.95**

उपरोक्त के अतिरिक्त नमूॅना के रुप में विकास खण्ड के अन्तर्गत गठित 06 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के बैंक पासबुक, रोकड बही एवं वाउचर्स की जॉच में पाया गया कि इन ग्राम समितियों

द्वारा योजनान्तर्गत बैंक खाते से धनराशि का आहरण कर सम्पूर्ण धनराशि का व्यय नहीं किया गया था तथा आहरित धनराशि सम्बन्धित आशा द्वारा अपने पास ही अनियमित रुप से 19 माहों से अधिक समय से रखा गया था। विवरण निम्नवत् है;

समिति का नाम	**बैंक से आहरण का दिनांक**	**आहरित धनराशि**	**वर्तमान तक कुल व्यय**	**अवशेष धनराशि**
जुड्डा	06.07.2017 एवं 18.08.2018	5000 एवं 6000	6027	4973
भौन	29.06.2017	8000	5761	2239
कोठार	29.06.2017	8000	7403	597
इंडिया	29.06.2017	8000	6273	1727
मौन वल्ला	06.07.2017	8000	6767	1233
मौन पल्ला	11.07.2017	8000	5807	2193
कुल योग		**40000**	**38038**	**12962**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को बैंक से आहरण कर व्यय न होने की स्थिति में धनराशि अनियमित रुप से अपने पास रखा गया था। नमूॅना जॉचित 06 ग्राम समितियों के पास ही नकद के रुप रु0 12962 की धनराशि व्यय नहीं होने पर अपने पास रखा गया था। अन्य ग्राम समितियों द्वारा भी इस प्रकार से अधिकतर धनराशि का वास्तविक रुप से व्यय नहीं किया गया होगा। परन्तु कार्यालय द्वारा इन ग्राम समितियों को आवंटित सम्पूर्ण धनराशि को व्यय मानते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को मिथ्या रुप से प्रेषित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अवगत कराया कि धनराशि का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में आशाओं को पुनः निर्देश दिये जाएगें तथा धनराशि का व्यय सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा।

अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को आवंटित धनराशि रु0 39.20 लाख का व्यय सुनिश्चित किये बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- स्वीकृत पदों के सापेक्ष मेडिकल एवं पैरा मेडिकल सवंर्ग में 31 पदों (35 प्रतिशत) के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवम के कार्यों में बाधा तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर का कार्य मूल रूप से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर की चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना है तथा जनपद के अन्तर्गत संचालित अधीनस्थ इकाइयों से यथा आवश्यक सूचनाए, आकड़ें प्राप्त कर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित करना है तथा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना एवं उनका अनुश्रवण करना है।

विकास खण्ड एक धार्मिक नगरी श्रिषिकेंश के नजदीकी है जहां पर समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान आदि के कार्यक्रम होते रहते हैं जहां पर देश भर से तीर्थ यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी प्रबल होती है ऐसी स्थिति मे उक्त स्थान पर स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ और संसाधनो की व्यवस्था होनी चाहिए।

मानव संसाधन से संबन्धित उपलब्ध करायी गयी सूचना नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रभारी चिकित्साअधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर जनपद पौड़ी के जाचॅ मे पाया गया कि कार्यालय तथा उसके प्राधिकार क्षेत्र (आहरण वितरण अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत) के अन्तर्गत अधीनस्थ इकाइयों मे चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी एव कुल 85 पदनामों के सापेक्ष चिकित्सको पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियों के 87 पद स्वीकृत थे।उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 56 चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारी व कर्मचारी तैनात थे और 31 पद रिक्त थे। (सूंची संलग्न)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रभारी चिकित्साअधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर जनपद पौड़ी कार्यालय व उसके अधीन कार्यरत इकाइयों मे चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे, ऊपर दिये हुए 87 पदो के सापेक्ष मात्र 56 पदो पर तैनाती हुई थी और 31 पद (35%) रिक्त थे। प्रश्नगत पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के सदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये अपने उत्तर मे कहा कि चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की पदस्थापना शासन/महानिदेशालय स्तर से की जाती है।

अतः स्वीकृत पदो के सापेक्ष 31 पदो (35%) के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लिये जाते है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
	इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।		

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर, पौडी गढवाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 विकास घिण्डियाल	प्रभारी चिकित्साधिकारी	01.04.2012 से 26.07.2016 तक
2	डा0 अजीत मोहन जौहरी	प्रभारी चिकित्साधिकारी	26.07.2016 से 31.12.2016 तक
3	डा0 राजीव कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी	01.01.2017 से 30.06.2017 तक
4	डा0 एच0 के0 सिंह	प्रभारी चिकित्साधिकारी	01.07.2017 से 03.12.2018 तक
5	डा0 राजीव कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी	04.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर, पौडी गढवाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र